संख्या- 91/2017/1897/71-1-2017-जी-169/2016

प्रेषक,

डा0 अनिता भटनागर जैन,
अपर मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 24 जुलाई, 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में नवनिर्मित ट्रामा सेन्टर के भवन में गैस पाइप लाइन की स्थापना हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2016-17/544, दिनॉक 30-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करे।

2- उक्त संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में नवनिर्मित ट्रामा सेन्टर के भवन में गैस पाइप लाइन की स्थापना हेतु शासनादेश संख्या-100/2016/1026/71-1-2016-जी-169/2016, दिनॉक 31-03-2016 द्वारा रू0 229.31 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा रू0 84.56 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त धनराशि तकनीकी खराबी/सर्वर हैंग होने के कारण मेडिकल कालेज, इलाहाबाद को आवंटित नहीं की गई है। अत: शासनादेश संख्या-180/2016/1214/71-1-2016-जी-169/2016, दिनॉक 11-08-2016 द्वारा रू0 84,56,000/- (रू0 चौरासी लाख छप्पन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति पुन: प्रदान की गई। उक्त के फलस्वरूप शासनादेश संख्या-201/2016/2474/71-1-2016-जी-169/2016, दिनॉक 25-10-2016 द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से अवशेष धनराशि रू0 1,44,75,000/- (रू0 एक करोड़ चौवालीस लाख पचहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी। इस प्रकार मूल परियोजना हेतु स्वीकृत समस्त धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

3- मेडिकल गैस पाइप लाइन में विस्तार किये जाने तथा नया कार्य प्लान्ट रूम के निर्माण को सम्मिलित किए जाने के कारण मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में नवनिर्मित ट्रामा सेन्टर के भवन में गैस पाइप लाइन की स्थापना हेतु तकनीकी समिति द्वारा आकलित पुनरीक्षित लागत रू0 3,83,68,000/- (रू0 तीन करोड़ तिरासी लाख अड़सठ हजार मात्र) (मूल लागत रू0 229.31 लाख एवं पुनरीक्षित लागत रू0 154.37 लाख को सम्मिलित करते हुए) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में मेडिकल कालेज, इलाहाबाद हेतु अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत 24-वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 1,54,37,000/- (रू0 एक करोड़ चौव्वन लाख सैतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष् प्रदान करते है:-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

2- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- प्रश्नगत कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु प्रधानाचार्य स्तर पर एक अनुसरण समिति का गठन किया जाये तथा कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का अनुपालन उक्त समिति द्वारा कराया जाये।

4- आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों में कोई भी परिवर्तन इस समिति की संस्तुति/अनुमोदन के बिना नही किया जायेगा।

5- अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।

6- शासनादेश संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनॉक 30-03-2015 मे वर्णित प्राविधानों के अनुसार प्रत्येक परियोजना की ऑडिटेड रिपोर्ट कार्यदायी से प्राप्त की जायेगी। प्रधानाचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि संबंधित कार्यदायी संस्था समयान्तर्गत ऑडिटेड रिपोर्ट उपलब्ध करायें।

7- सर्विस टैक्स के वास्तविक भुगतान की गणना कर उसे परियोजना लागत में सम्मिलित किया जाये।

8- वित्त बजट-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 20-03-2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की दिरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनॉक 19-10-2015 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11- स्वीकृत की जा रही धनराशि का नियमानुसार सदुपयोग सुनिश्चित किए जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था एवं संबंधित प्रधानाचार्य का होगा।

12- प्रश्नगत कार्य हेतु ई-टेण्डरिंग व्यवस्था के अनुसार यथा आवश्यकता कार्यवाही की जाये।

13- प्रश्नगत कार्य हेतु स्पेशिफिकेशन के निर्धारित मानक के अनुरूप सामग्री प्रयोग की जाये।

4- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा, शिक्षा,प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-40-मेडिकल कालेज, इलाहाबाद-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017, दिनॉक 20 मार्च, 2017 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीया

(डा0 अनिता भटनागर जैन)
अपर मुख्य सचिव

संख्या:- 91/2017/ 1897(1)/71-1-2017 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
6- निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, टी0सी0-38-वी0, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7- नियोजन-अनुभाग-4
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जयवीर सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।